न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – महीपाल सिंह , आर.ए.एस.0
मुकदमा नंबरः– 09/2022 प्रार्थनापत्र

अनवान

1. अमित टांक पुत्र राधेश्याम टांक निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. गणपत पुत्र मुलचन्द झंवर निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. बाल मुकुंद पुत्र राधेश्याम झंवर निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. राजेश कुमार पुत्र भंवर लाल मेहता निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. सम्पत लाल पुत्र माधव लाल कोठारी निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. चुन्नी लाल पुत्र राजू भील निवासी उदलियास का खेड़ा, कांगणी तह. सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती कमला देवी पत्नी मीठालाल प्रजापत निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार करेडा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपस्थित

1. कमलेश मेहता — अधिवक्ता प्रार्थी
2. विनोद तिवाडी — अधिवक्ता विपक्षी
3. पेरोकार सरकार — विपक्षी संख्या 3

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: दिनांक 13.08.2022

प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा –251 ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी संख्या 8526/2456 में कुल किता 1 रकबा 0.8852 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त वर्णित आराजी संख्या 8526/2456 में आने–जाने हेतु एक मात्र रास्ता विपक्षीगण की आराजी नंबर 8284/2456 रकबा 0.4806 है0 व विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 9261/2456 रकबा 0.2656 है0 में से है, जिसको विपक्षीगण बार–बार अवरूद्ध करते है अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने से प्रार्थीगण अपनी आराजी में फसल काश्त हेतु आने–जाने के मौजूद रास्ते को 32 फीट चौड़ाई में राजस्व रेकार्ड (नक्शे) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन करते हुए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए सदैव तैयार है।

प्रार्थीगण का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर विपक्षीगण को सुनवाई हेतु सम्मन नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद तिवाडी उपस्थित हुए। न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नहीं या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नहीं के संबंध में मौके की जॉच करा तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाकर शामिल फाईल की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:36:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र में वर्णित [illegible] राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर [illegible] ध्यान आकृषित कर अपनी आराजी नंबर 8526/2456 पर फसल काश्त हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 8284/2456 व 9261/2456 से होकर जाने के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजुद न होने से मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार रास्ता दर्ज करने का निवेदन करते हुए नियमानुसार निर्धारित राशि जमा कराने पर अपनी सहमति दी। अधिवक्ता विपक्षीगण श्री विनोद तिवाडी ने बहस के दौरान कथन किया कि मुख्य मार्ग पर प्रार्थीगण की स्वयं की आराजीयात होने से अपनी ही अपनी आराजियात में पगडण्डी से आते–जाते रहे है मौका रिपोर्ट में भी दर्शाया गया प्रार्थीगण विपक्षीगण की आराजियात से आते–जाते रहे है।

उपखड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

तहसीलदार करेड़ा द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेडा की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.07.2022 को प्रस्तुत की जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता विपक्षी संख्या 1 की आ0नं0 8284/2456 व विपक्षी संख्या 2 की आ0नं0 9261/2456 से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजी नं0 8526/2456 में जाते हैं। प्रार्थीगण को अपनी आराजी नं0 8526/2456 में जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नं0 8284/2456 व 9261/2456 की मौका रिपोर्ट में नक्शेनुसार 30 फीट चौडाई दक्षिण दिशा में जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है रास्ता प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ता विपक्षी संख्या 1 की आराजी नं0 8284/2456 जिसका रकबा 0.4806 में से 0.0257 हैक्टयर (92.17X30) वर्ग फीट व विपक्षी संख्या 2 के आराजी नं. 9261/2456 रकबा 0.2656 हे. में से 0.0095 हे. (34x30) वर्ग फीट बनता है। मौका रिपोर्ट अनुसार अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है तथा प्रस्तावित मार्ग ही सहज व सुगम मार्ग है। विपक्षी सं0 1 व 2 ने राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रस्तावित रास्ते में प्रार्थी को दी जाने वाली भूमी के बदले उतनी ही भूमी प्रार्थीगण यदि विपक्षीगण को देते हैं तो प्रस्तावित रास्ता दिए जाने पर विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है। पैराकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता दिये जाने हेतु सहमत है। भूमि के बदले भूमि दिए जाने पर रास्ता दिया जाना सहमतिनुसार उचित है।

मैनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड़ का अवलोकन किया । प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सरहद करेडा पटवार हल्का करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी संख्या 8526/2456 दर्ज रेकार्ड़ है। जिसमें आने–जाने हेतु मौका रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण की आ0नं0 8284/2456 व 9261/2456 नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शायेनुसार दक्षिणी मेड़ के सहारे–सहारे 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया जो निकटतम मार्ग होने व राजस्व रेकार्ड़ में अन्य कोई मार्ग नहीं होने के मध्यनजर खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु विपक्षीगण की सहमती अनुसार भूमि के बदले भूमि दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता है।

आदेश

प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर विपक्षी सं. 1 की खातेदारी हक की आराजी नं0 8284/2456 रकबा 0.4806 में से 0.0257 हे0 (92.17x30 वर्ग फीट) व विपक्षी सं0 2 की खातेदारी हक की आराजी नं0 9261/2456 रकबा 0.2656 हे0 में से 0.0095 हे0 (34x30 वर्ग फीट) का रास्ता प्रार्थीगण की कृषि आराजियात 8526/2456 पर कृषि कार्य हेतु आने–जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शे में भी रास्ता प्रस्तावित नक्शे अनुसार दर्ज करने की आज्ञा पारित की जाती है। प्रस्तावित नक्शा निर्णय का भाग होगा। इस आदेश की पालना में तहसीलदार करेडा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे की रास्ते के लिए दी जाने वाली भूमि, भूमि के बदले उतनी ही भूमि खसरा नं0 8526/2456 रकबा 0.8852 हैक्टर मेसे 0.0352 हैक्टर बतौर क्षतिपूर्ती प्रार्थीगण की कृषि आराजियात के उतर – पश्चिम दिशा मे आ0 नं0 9261/2456 लगती हुई भुमि से कम कर विपक्षीगण को दी जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे। उक्त रास्ता सार्वजनिक रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 13.08.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:56:50 IST
Reason: SelfAttested

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाड़ा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा